(134)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : आर.के. जैन
सदस्य

प्रकरण क्रमांक विविध 9175–एक/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–08–2016 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी(रा.) विजावर, जिला–छतरपुर के प्रकरण क्रमांक–03/बी–113/2008–09

.....

बृजगोपाल दुबे पुजारी मंदिर श्री चित्रगुप्त मंदिर
विजावर, जिला–छतरपुर, म.प्र.

————आवेदक

विरूद्ध

1– नीरज भटनागर
2– रूप किशोर खरे
निवासीगण– विजावर तहसील विजावर,
जिला–छतरपुर(म.प्र.)

————अनावेदकगण

.....

श्री आर.डी. शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 24–6–2019 को पारित)

यह विविध म.प्र. लोक विन्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 (5) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी (रा.) विजावर, छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–08–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा तहसील विजावर, जिला–छतरपुर स्थित श्री चित्रगुप्त मंदिर के पंजीयन हेतु म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट अंतर्गत धारा 04 का आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी विजावर के समक्ष प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की जहॉ पर आवेदक बृजगोपाल दुबे द्वारा आपत्ति का आवेदन पेश किया। अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 23–08–2016 को

अंतरिम आदेश पारित कर आवेदक की आपत्ति को सारहीन मानकर निरस्त किया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह विविध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक बृजलाल के अभिभाषक ने दिनांक 11–1–2019 को आदेश 22 नियम 3 व्यवहार प्रकिया संहिता के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया था कि आवेदक की मृत्यु हो चुकी है और उनके वारिसों को अभिलेख पर लिया जाये।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि प्रश्नाधीन श्री चित्रगुप्त मंदिर के पंजीयन हेतु म.प्र. लोक विन्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी विजावर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर आवेदक बृजलाल (मंदिर के पुजारी) की ओर से आपत्ति आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन मंदिर शासकीय मंदिर है और वह उस मंदिर का पुजारी नियुक्त होकर कार्य कर रहा है तथा उसे धर्मस्व विभाग से वेतन भी प्राप्त होता है। अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक के आवेदन को आदेश दिनांक 23–08–2016 से निरस्त किया है। जिसके विरूद्ध यह विविध आवेदन म0प्र0 लोक विन्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4(5) के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। म.प्र. लोक विन्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4(4) में यह प्रावधानित है कि–

"4(4). कोई पंजीयक ऐसे लोक न्यास पंजीकरण के आवेदन के संबंध में कार्यवाही नहीं करेगा जिसके संबंध में पंजीकरण के लिए आवेदन पूर्व में अन्य किसी पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और पंजीयक जिसके समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था यह निराकृत करेगा कि लोक न्यास के पंजीकरण के लिए किस पंजीयक को अधिकारिता होगी।

4(5). पंजीयक के उपधारा (4) के अंतर्गत किए गए आदेश के विरूद्ध आदेश से 90 दिवसों के भीतर ऐसे अधिकारी के समक्ष, जिसे कि राज्य

सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियुक्त करे, प्रस्तुत की जा सकेगी और ऐसी अपील के अध्यधीन उपधारा (4) के अंतर्गत पंजीयक का आदेश अंतिम होगा।"

5/ आवेदक की ओर से यह विविध आवेदन म.प्र. लोक विन्यास अधिनियम 1951 की धारा 4(5) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है जबकि इस प्रकरण में म.प्र. लोक विन्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत कार्यवाही में पारित आदेश को चुनौती नहीं दी गई है। जब म.प्र. लोक विन्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत कोई आदेश पारित किया जाता है तब उसे लोक विन्यास अधिनियम की धारा 4(5) में चुनौती दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध व्यवहार न्यायालय से अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। वर्णित परिस्थितियों इस विविध आवेदन के सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से अमान्य किया जाता है।

(आर.के. जैन) 24.11.17
सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर,